पीठासीन अधिकारी :— सौरभ स्वामी आई.ए.एस.

अनवान :— राजस्व वाद संख्या :— 006 / 2015

1 राजेश कुमार पुत्र भूपसिह जाति बिश्नोई निवासी श्रीगंगानगर जरिये मुखत्यार आम भूपसिह पुत्र मनीराम जाति बिशनोई निवासी श्रीगंगानगर वर्तमान निवासी डी–3 सरस्वती नगर जोधपुर।

— — वादी

—:: बनाम ::—

1 प्रेम प्रकाश पुत्र राम चन्द्र जाति अग्रवाल निवासी गली नम्बर 4 सर्कुलर रोड अबोहर (पंजाब)

2 शकुन्तला देवी पत्नि राम चन्द्र जाति अग्रवाल निवासी गली नम्बर 4 सर्कुलर रोड अबोहर (पंजाब)

— — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 92ए, 188 आर.टी.ए. घोषणा एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री ओमप्रकाश बत्तरा अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री सुरेन्द्र भनोत अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 04.02.2019

वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 92ए, 188 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी श्री गंगानगर का स्थाई निवासी है तथा श्री भूपसिह पुत्र मनीराम बिशनोई वादी का मुखत्यार आम है वादी की ओर से वाद पेश करने का अधिकारी है। वाद के साथ मुखत्यारनामा आम की नकल शामिल हैं।

वादी ने चक 1 ए छोटी तहसील व जिला गंगानगर के खाता संख्या 54 / 46 के मुरब्बा नम्बर 50 की कुल 4.846 हैक्टर में से 0.212 हैक्टर भूमि बैयनामा दिनांक 21.12.2005 के रतनलाल पुत्र गणपतराम से क्रय की तथा इसी खाता व मुरबा की भूमि में से 0.212 हैक्टर बैयनामा दिनांक 21.12.2005 के हेमन्त पुत्र गणपतराम से क्रय की उक्त भूमि का इन्तकाल वादी के नाम से इन्तकाल नम्बर 218 दिनांक 03.03.2006 से किया गया व वर्तमान में उसके नाम से उक्त खाता की कुल 4.846 हैक्टर में से 0.424 हैक्टर वादी के नाम से दर्ज कागजात राज है। जमाबन्दी की नकल शामिल दावा हाजा है। वह इसका खातेदारकास्तकार व हकदार है।

वादी अपनी उक्त भूमि को हर प्रकार से कास्त करने उपयोग उपभोग करने का कानुन अधिकारी है। तथा शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करता आ रहा है। वादी ने आज तक उक्त भूमि को प्रतिवादीगण अथवा अन्य किसी को कभी किसी प्रकार मुन्तकिल नहीं किया गया है।

वादी उक्त रकबा में सुधार करवाने के कारण अब प्रतिवादीगण के मन में गलत लालच आया हुआ है। तथा वह वादीगण के कब्जा कास्त उपयोग उपभोग में ना केवल गलत तौर से मदाखलत करने बल्कि उक्त रकबा को मुन्तकिल करने की गलत कोशिश में है इसके लिए गत सप्ताह भी कोशिश की गई मगर वह सफल ही हो सके अब भी लोगों से बात चीत कर रहे हैं वह खुद अथवा अन्य की सहायता से वादीगण को बेदखल करने व रकबा को मुन्तकिल करने के प्रयास में है अगर वह इसमें सफल हो गए तो वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा अतः दावा हाजा लाना आवश्यक होया है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

अगर प्रतिवादीगण का अपने परिवार के लोगो के साथ किसी प्रकार का कोई विवाद उक्त खाता की भूमि का है तो वह इसकी आड़ में वादी के खरीद शुदा खातेदारी कृषि भूमि 0.424 हैक्टर को ना तो वादी के हक में हुए बैयनामाजात को मन्सूख हुए व राजस्व रिकार्ड में से वादी के नाम को हटवाए बिना कानुनन भी किसी को मुन्तकिल नहीं कर सकते हैं अतः वादी के लिए अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है। जिससे कि वह अपनी खातेदारी उक्त भूमि का शान्ति पूर्वक उपयोग करके लाभ उठा सके। किसी प्रकार से कोई मदाखलत ना हो व उसको उसके हक से वचिंत ना किया जा सके ।

वादी ने प्रतिवादीगण से बार बार आग्रह किया कि वह वादी के उक्त खातेदारी कब्जा कास्त की भूमि में किसी प्रकार से मदाखलत करने उसको जबरन बेदखल करने करवाने व अन्य किसी को गलत तौर से मुन्तकिल करने से बाज व ममनु रहे मगर वह टाल मटोल करते हुए दिनांक 08.02.2015 को साफ इन्कारी है। अतः यही बिना मुखासमत है तथा दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है।

उक्त आराजी अदालत वाला के अधिकार क्षैत्र में स्थित है, अतः दावा वादी काबिल समाअत अदालत वाला है तथा तारीख इन्कारी से बिना किसी देरी के न्याय शुल्क पर पेश किया जा रहा है।

लिहाजा दावा वादी पेश करके अर्ज है कि दावा वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री सादिर किया जावे :–

(क) डिक्री आज्ञात्मक व्यादेश व स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर को जावे कि प्रतिवादीगण वादी की खरीद शुदा खातेदारी भूमि चक 1 ए छोटी तहसील व जिला गगानगर के खाता संख्या 54/46 के मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 1 ता 23 की कुल भूमि में से वादी की खरीद शुदा खातेदारी 0.424 हैक्टर के वादी के कब्जा कास्त उपयोग उपभोग में स्वयं अथवा अन्य किसी की सहायता से मदाखलत करने वादी को बेदखल करने किसी को गलत तोर से मुन्तकिल करने किसी प्रकार से रहन बैय मुन्तकिल करने से बाज व ममनु रहे।

(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो कि वादी के हित में हो वह भी प्रदान किया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी उपस्थित आकर जरिये अधिवक्ता जबाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वादी के स्थाई निवास और श्री भूप सिंह के मुखत्यारनामा आम के संदर्भ में किये गये कथन ज्ञान के अभाव में स्वीकार नहीं है और शेष कथन विधिक है जिनके जवाब की आवश्यकता नहीं है।

वाद पत्र की चरण संख्या 2 के कथन असत्य व निराधार होने के कारण स्वीकार नहीं है। वस्तु स्थिति इस प्रकार है कि चक 1 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 48, हाल 50 के किला नम्बर 1 (0.10), 2 (0.10), 9 (0.10), 10 (0.10), 11 (0.10), 12 (0.10), 19 (0.10), 20 (0.10), 21 (0.10) एवम् 22 (0.10) कुल 5 बीघा भूमि सुखलाल तलवाड़िया पुत्र श्री गणेशी लाल के स्वामित्व की सम्पत्ति थी जिसें पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांकित 24.12.1964 के द्वारा सुखलाल तलवाड़िया ने सर्व श्रीरामचन्द्र, गणपत राम डालचन्द उर्फ लालचन्द एवम् छगनलाल की विक्रय कर दिया और तदनानुसार उपरोक्त 5.00 बीघा भूमि में प्रत्येक 1/4–1/4 भाग के स्वामी हुए और राजस्व अभिलेख में अनका नाम प्रविष्ठ हुआ। श्री छगनलाल के द्वारा अपना 1/4 हिस्सा विक्रय कर दिया गया और 0.484 हैक्टर भूमि सर्व श्री रामचन्द्र, गणपतराम और डालचन्द उर्फ लालचन्द के स्वामित्व की

लगातार 3

भूमि रही। श्री रामचन्द्र को देहान्त हो चुका है, और प्रतिवादीगण उनके विधिक उत्तराधिकारी है, जिनके नाम 1/3 भूमि का इन्तकाल राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ। श्री गणपत राम का भी देहान्त हो चुका है, और उनके 1/3 हिस्सा का इन्तकाल उनके वारिसान के नाम दर्ज हुआ और इसी प्रकार की डालचन्द उर्फ लालचन्द का भी देहान्त हो चुका है और उनके 1/3 हिस्सा का इन्तकाल श्री उनके वारिसान के नाम दर्ज हुआ। यह कृषि भूमि विभाजित होने के कारण विधि अनुसार प्रतिवादीगण सहित अन्य हिस्सेदारान इस कृषि भूमि के संयुक्त स्वामी हुए और प्रत्येक का विधि अनुसार इस भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा रहा। चूंकि प्रतिवादीगण बाहर निवास करते थे, इसलिए प्रतिवादीगण की ओर से इस कृषि भूमि की देखभाल रतन लाल नागौरी व हेमन्त नागौरी किया करते थे। उनके द्वारा प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति का अनुचित लाभ उठाकर और यह कृषि भूमि शहर श्रीगंगानगर के घनी आबादी ऐरिया में आ जाने और अकृषि भूमि के रूप में इस्तेमाल होने के कारण लालचवश रतन लाल नागौरी व हेमत नागौरी द्वारा स्वर्गीय श्री डालचन्द के वारिसान के साथ कपट सन्धि करके और प्रतिवादीगण को संदोष हानि पहुंचाने के उद्देश्य से एक राजस्व वाद श्रीमान न्यायालय में दिनांक 23.09.2005 को इस कथित आधार पर प्रस्तुत किया कि दिनांक 26.04.1967 को एक पंच निर्णय हुआ था और उस पंच निर्णय को न्यायालय जिला न्यायाधीश के द्वारा रूल ऑफ दी कोर्ट बनाया गया और इस डिक्री के आधार पर कुल 0.848 हैक्टर कृषि भूमि के मालिक सर्व श्री रतन नागौरी व हेमन्त नागौरी और स्वर्गीय डालचन्द के वारिसान बराबर-बराबर के हिस्सेदार है और प्रतिवादीगण का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। वह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिना विधि सम्मत तामील एक पक्षीय डिक्री करवा लिया गया और राजस्व अभिलेख में 0.424 हैक्टर 0.424 हैक्टयर का इन्तकाल दर्ज करवा लिया गया। प्रतिवादीगण को जब इसकी जानकारी प्राप्त हुई तो प्रतिवादीगण के द्वारा विधिक कार्यवाही करके एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करवाया और न्यायालय के समक्ष वस्तु स्थिति प्रकट करने कथन किया कि न तो कभी पंच निर्णय हुआ और न ही कभी ऐसे कथित पंच निर्णय को रूल ऑफ दी कोर्ट बनाया गया। सर्वश्री रतन नागौरी व हेमन्त नागौरी के द्वारा व्यक्त किये जा रहे रूल ऑफ दी कोर्ट व डिक्री को न्यायालय में प्रस्तुत करवाये जाने के लिए आवेदन किया और इनके द्वारा न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ा कि न्यायालय जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर से कभी भी रूल ऑफ दी कोर्ट व डिक्री पारित नहीं हुई। दिनांक 10.07.2012 को सर्वश्री रतन नागौरी व हेमन्त नागौरी और स्वर्गीय श्री डालचन्द के वारिसान श्रीमती शान्ति देवी के द्वारा उस वाद को खारिज करवा लिया गया और पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके उसे रिस्टोर करने की भी प्रार्थना की गई जिसका निस्तारण अभी लम्बित है। उनके वाद के खारिज हो जाने के बाद राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की अनुपालना में राजस्व अभिलेख में की गई प्रविष्टि को निरस्त किया जाकर वापिस पूर्व प्रविष्टि स्थापित कर दी गई। सर्वश्री रतन नागौरी व हेमन्त नागौरी के द्वारा एक पक्षीय डिक्री प्राप्त करने के उपरान्त आनन फानन में अपने नाम 0.424 हैक्टर का इन्द्राज करवाने के तुरन्त बाद इस हिस्सा का बेचान वादी को कर दिया और वादी के द्वारा राजस्व अभिलेख में अपने नाम इन्तकाल दर्ज करवा लिया, लेकिन राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा पारित किये गये निर्णय के अनुसरण में वापिस प्रविष्टि हो जाने के कारण वर्तमान में वादी का नाम प्रविष्टि से विलोपित हो चुका है और वादी न तो 0.424 हैक्टर कृषि भूमि का रिकार्डेड खातेदार है और न ही हो सकता है, क्योंकि सर्वश्री रतन नागौरी व हेमन्त नागौरी के नाम 0.283 हैक्टर कृषि भूमि पूर्व में दर्ज थी और इसी सीमा तक वह अपने हिस्सा को बेचान कर सकते थे और इससे अधिक किया गया बेचान सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अविधि मान्य और शून्य की श्रेणी में आने के कारण प्रतिवादीगण के हित के

अधिकारों पर अप्रभावित है। वादी के द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए और इस मान्य न्यायालय को धोखे में रखकर अनुतोष प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से पुरानी जमाबन्दी को आधार मानकर वाद प्रस्तुत किया गया है, जबकि नवीन जमाबन्दी प्रस्तुत की जानी आवश्यक थी और इस जमाबन्दी में वादी का नाम प्रविष्ट नहीं है और चूंकि वादी रिकार्डेड खातेदार नहीं है, इसलिए वादी के द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद अन्तर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पोषणीय नहीं है और सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत इसी स्तर पर निरस्त होने योग्य है। चूंकि वादी रिकार्डेड खातेदार नहीं है। और प्रतिवादीगण 0.283 हैक्टर कृषि भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। इसलिए वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई वाद हेतुक प्राप्त नहीं है।

वाद पत्र की चरण संख्या 3 के कथन स्वीकार नहीं है। चूंकि सर्वश्री रतन नागौरी व हेमन्त नागौरी के द्वारा इस मान्य न्यायालय में पंचाट एवम् रूल ऑफ दी कोर्ट के मिथ्या आधार पर स्वयं को 0.424 हैक्टर भूमि का स्वामी होना कथन करते हुए 0.424 हैक्टर भूमि वादी को विक्रय कर दी, जैसा कि स्वयं वादी कथन कर रहा है, लेकिन इसे प्रतिवादीगण के हित व अधिकार समाप्त नहीं होते हैं और प्रतिवादीगण के द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1, श्रीगंगानगर के समक्ष सर्वश्री रतन नागौरी व हेमन्त नागौरी और स्वर्गीय श्री डाल चन्द के वारिसान के साथ–साथ वादी को भी पक्षकार बनाते हुए घोषणात्मक, शाश्वत और विभाजन के लिए दावा प्रस्तुत किया हुआ है, क्योंकि विवादित जमीन अकृषि भूमि की प्रकृति की नहीं है। प्रतिवादीगण के 0.283 हिस्सा पर वादी का अनाधिकृत कब्जा है और वह अतिकर्मी है। प्रतिवादीगण अपने स्वामित्व की 0.283 हैक्टर कृषि भूमि को विधि अनुसार उपयोग व उपभोग करने और आन्तरित करने के लिए स्वतंत्र है और इसमें वादी अथवा कोई भी अन्य व्यक्ति विधि अनुसार बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता।

वाद पत्र की चरण संख्या 4 के कथन स्वीकार नहीं है। प्रतिवादीगण अपने हित व अधिकारों के लिए विधिक प्रक्रिया का ही सहारा ले रहे हैं। विवादित भूमि पर वादी के द्वारा रॉयल सरस्वती गार्डन नाम मैरिज पैलेस बनाया हुआ है और गलत तौर से वादी को बेदखल किये जाने का प्रयास का कथन बिलकुल मिथ्या व निराधार है।

वाद पत्र की चरण संख्या 5 के कथन जिस प्रकार से अभिकथित किये गये है, स्वीकार नहीं है। प्रतिवादीगण का अपने परिवार के लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है औ सर्वश्री रतन नागौरी व हेमन्त नागौरी और स्वर्गीय श्री डालचन्द के उत्तराधिकारियों के साथ केवल यही विवाद था कि उनके द्वारा प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति का अनुचित लाभ उठाकर उन्होनें न्यायालय के समक्ष बिलकुल मिथ्या कथन कर एक पक्षीय डिक्री प्राप्त करके प्रतिवादीगण के हिस्सा को समाप्त करने की चेष्टा की गई, लेकिन वह चेष्टा विधिक प्रक्रिया से समाप्त कर दी गई और यदि सर्वश्री रतन नागौरी व हेमन्त नागौरी के द्वारा 0.424 हैक्टर भूमि विक्रय की गई है तो उसका प्रतिवादीगण के हित व अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं है और न ही विधि अनुसार प्रतिवादीगण को विक्रय विलेखों को निरस्त करवाये जाने की आवश्यकता है। जहां तक इस चरण संख्या में राजस्व अभिलेख में से वादी के नाम को हटवाये जाने का कथन, राजस्व अभिलेख में वादी का नाम अंकित नहीं है। और वादी का नाम राजस्व अभिलेख में हटाया जा चुका है, जिसके सम्बन्ध में विस्तार से कथन प्रतिवादीगण द्वारा पूर्ववर्तित चरणों में दिये जा चुके हैं।

वाद पत्र की चरण संख्या 6 के कथन स्वीकार नहीं है। वास्तव में प्रतिवादीगण का वादी अथवा उसके मुखत्यार से कभी संवाद नहीं हुआ, इसलिए टालमटोल करने जैसे कथन बिल्कुल काल्पनिक और मिथ्या है और केवल मात्र वाद हेतुक बनाये जाने के उद्देश्य से अभिकथित किये गये हैं।

लगातार 5

वाद पत्र की चरण संख्या 7 के कथन विधिक है इसलिए जवाब की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र की चरण संख्या 8 में अधियाचित अनुतोष स्वीकार नहीं है और न ही विधि अनुसार ऐसा अनुतोष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है।

अतः वादोत्तर प्रस्तुत करके निवेदन है कि वादी का वाद व्यय सहित खारिज किया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा जबाब प्रस्तुत करने पर पत्रावली का अवलोकन किया जाकर निम्नानुसार तनकियात कायम की गई :–

1. आया कि चक 1ए छोटी के खाता संख्या 46/57 हाल 54/49 मुरब्बा नम्बर की 0.424 हैक्टर भूमि पर वादी के शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त उपयोग उपभोग बारी पानी आदि में स्वंय अथवा अन्य किसी की सहायता से मदाखलत करने से बाज व ममनू रहे ?
   — — वादी
2. आया कि उक्त विवादित भूमि में एक पक्षीय डिक्री होने पर प्रतिवादीगण के हिस्सा को समाप्त कर भूमि रतन नागौरी व हेमन्त नागौरी के द्वारा 0.424 हैक्टर भूमि विक्रय की गई है जबकि सक्षम न्यायालय से एक पक्षीय आदेश निरस्त हो चुका हैं। तथा राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम हटाया जा चुका है। गलत आधारों पर वाद प्रस्तुत किया हैं, जो खारिज किया जावे ?
   — — प्रतिवादी
3. अनुतोष

उक्त तनकीयात को सिद्ध करनें हेतु वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया परन्तु जिरह हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जानें पर भी वादी द्वारा जिरह हेतु उपस्थित नहीं होनें पर जिरह बन्द की गई।

प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करनें का कथन करनें पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई दौरानें बहस उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा अपनें अपनें वाद पत्र व जबाब वादपत्र को दोहराया गया।

समायत बहस का मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि तनकीयात कायम होने के उपरान्त वादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतू समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वादीगण के द्वारा कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की एवं ना हीं किसी प्रलेखीय साक्ष्य को साबित करवाया। दौराने बहस भी वादीगण के अधिवक्ता ऐसा कोई विधिक प्रावधान अथवा न्यायिक दृष्टान्त हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे यह ज्ञान होता हो कि साक्ष्य वादी पत्रावली पर नहीं आने के बावजूद न्यायालय वाद में अनुतोष प्रदान कर सकता हो।

न्यायिक दृष्टान्त 1963 आर.आर.डी पृष्ठ संख्या 200 भी प्रकरण हाजा पर लागू होता है जिसमें माननीय राजस्व मंडल, अजमेर की खण्ड पीठ द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि बिना प्रदर्श लगे दस्तावेजात को साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है। वादीगण के द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में कोई मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के प्रकाश में बिना कायम तनकीयात पर कोई विवेचन किये वाद वादीगण निरस्त करना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य के अभाव में निरस्त किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर